राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 321/2024 निर्णय दिनांक : 04.12.2024

सम्पत बेनीवाल बनाम कृतिका खण्डेलवाल वगै0

1. सम्पत बेनीवाल उम्र 50 साल पुत्र श्री विधाधर बेनीवाल जाति जाट निवासी गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनू ।

—— वादी

बनाम

1. कृतिका खण्डेलवाल पुत्री जुगलकिशोर उम्र 23 साल जाति महाजन निवासी रामलीला मैदान, गुढागौडजी जिला झुन्झुनू ।
2. किशनलाल उम्र 65 साल पुत्र बालाराम सैनी जाति माली निवासी चिन्ताहरण रोड, गुढागौडजी जिला झुन्झुनू।
3. जुगलकिशोर शाह उम्र 53 साल पुत्र बनवारी लाल शाह जाति महाजन निवासी गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनू ।
4. निहारिका खण्डेलवाल पुत्री जुगलकिशोर उम्र 22 साल जाति महाजन निवासी रामलीला मैदान, गुढागौडजी जिला झुन्झुनू।
5. बिमला देवी पुत्री हीरालाल उम्र 70 साल निवासी हाल गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनू ।
6. बीना देवी पत्नी कृपाशंकर उम्र 60 साल निवासी हाल गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनू।
7. मंजू देवी पुत्री हीरालाल उम्र 68 साल निवासी हाल गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनू ।
8. मोहरी देवी पत्नि दुर्गाप्रसाद उम्र 50 साल निवासी हाल गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनू ।
9. राजकुमारी पत्नि पूर्णमल उम्र 50 साल जाति माली निवासी हाल गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनू ।
10. रिंकू देवी पत्नि जुगलकिशोर शाह उम्र 48 साल जाति गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनू । महाजन निवासी
11. ललित कुमार परसरामजीका पुत्र देवकीनन्दन जाति महाजन निवासी गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनू ।
12. शकुन्तला देवी पुत्री हीरालाल उम्र 58 साल निवासी हाल गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनू ।
13. श्याम सेवा समिति गुढागौडजी जरिये मंत्री विनोद कुमार पुत्र केदारमल उम्र 55 साल निवासी गुढागौडजी जिला झुन्झुनू ।
14. शिवचरण पुत्र हीरालाल जाति महाजन उम्र 70 साल निवासी गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुन्।
15. पिस्ता देवी पत्नि प्रभातीलाल (मृतक)
    15/1 कृष्ण कुमार पुत्र पिस्ता देवी व प्रभातीलाल
    15/2 पवन कुमार अग्रवाल पुत्र पिस्ता देवी व प्रभातीलाल
    15/3 मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र पिस्ता देवी व प्रभातीलाल
    15/4 संजय कुमार अग्रवाल पुत्र पिस्ता देवी व प्रभातीलाल
    15/5 सरोज देवी पुत्री पिस्ता देवी व प्रभातीलाल
    समस्त निवासीगण गुढागौडजी जिला झुन्झुनू ।
16. तहसीलदार, तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनू ।

———— प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न आशय का पेश किया गया :–

ग्राम टोडी तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 1021 रकबा 3.24 हेक्टर अवस्थित है, जिसके राजस्व रिकार्ड के अनुसार 11/162 भाग का सहखातेदार वादी तथा अवशेष भाग के सहखातेदार राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 है. प्रस्तुत भूमि की सहखातेदार पिस्ता देवी का देहान्त हो चुका है, उक्तानुसार उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 15/1 से 15/5 को प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 प्रस्तुत भूमि के सहखातेदार है,

उनके मध्य प्रस्तुत भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है लेकिन काश्त की सहुलियत से मौके पर मौखिक विभाजन है, जिसके अनुसार मौके पर अलग अलग कब्जे है, काश्त है, परन्तु विधिवत विभाजन के अभाव में सीगाओ पर अक्सर विवाद बना रहता है. इसलिए वाद बाबत विभाजन सेवामे पेश है। वादपत्र की धारा 1 में अंकित भूमि का राजस्व अभिलेख शामलाती है, जिसके कारण से हर सहखातेदार को अपनी भूमि मे आवश्यक सुधार करने, ऋण आदि लेने में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसलिए वादी अपने हक व हिस्से की भूमि का मौखिक विभाजन के अनुसार अलग खाता व लगान कायम करवाना चाहते है, जिस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 दिनांक 24/08/2024 से एकदम से इन्कार है, उक्त हेतु वाद बाबत विभाजन सेवामे पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 द्वारा विभाजन हेतु इन्कार होने पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 से दिनांक 25/08/2024 को पुनः सम्पर्क किया तथा वास्तविक स्थिति से उन्हे अवगत करवाकर ऐसा नही करने का निवेदन किया लेकिन वे दिनांक 25/08/2024 को पुनः विभाजन हेतु इन्कार हो गये, इसलिए कानून की शरण में आकर यह वाद बाबत विभाजन सेवामे पेश कर रहा है। वाद कारण बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 दिनांक 24/08/2024 को विभाजन हेतु इन्कार होने व धमकी देने दिनांक 25/08/2024 को समझाने पर भी नहीं मानने के रोज माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय हाजा द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 21.10.2024 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/2706 दिनांक 26.11.2024 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। विभाजन प्रस्ताव पर वकील प्रतिवादी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको दिनांक 04.12.2024 को खारिज किया गया। वकील वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील पक्षकारान को बहस पत्रावली पर सुना गया। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादीगण न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम टोडी तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 1021 रकबा 3.24 है0 कृषि भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौडजी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/2706 दिनांक 26.11.2024 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

04/12/24

(हवाई सिंह यादव)

सहायक कलक्टर झुन्झुनू